

No: EDN-U(Ele) (E-V) 5%Trs -2022- 567-70
Office of the
Dy Director Elementary Education Una (HP)

Dated: 17/2/23 Feb/2023

OFFICE ORDER

In compliance to the orders passed by the Hon,ble High Court in CWP No 8625/2022 Titled as Raj Kumar, Drawing Master V/S State of HP & others , further orders conveyed by the Director of Elementary Education HP Shimla letter Number **EDN-H(III) Ele. CWP No. 8625/2022-SML- Dated 16.02.2023 Sh Raj Kumar, DM, GHS Padhechi , Distt Shimla**, who has been transferred to Una Distt. under 5% Quota Inter Distt transfer Policy 2021 without TTA/JT in relaxation of ban on transfers is hereby adjusted in **GSSS Mandli Distt Una against Vacancy** with immediate effect on the terms & conditions as mentioned overleaf.

-sd-
**Dy Director Elementary Education,
Una Distt Una (HP)**

Endst No Even

Dated Even

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director of Elementary Education HP Shimla w.r.t. their order referred to above.
2. The Deputy Director of Elementary Education Shimla Distt Shimla for necessary action please.
3. The Principal GSSS Mandli Distt Una for information.
4. The Headmaster GHS Padhechi , Distt Shimla.

**Dy Director Elementary Education,
Una Distt Una (HP)**

0 F - 152

Terms & Conditions for inter District Transfer

1. अनुबन्ध आधार पर कार्यरत अध्यापकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण कार्मिक विभाग के पत्र संख्या PER(AP)-C-C(2)-2/2015-part दिनांक 13.04.2022 तथा शिक्षा निदेशालय के पत्र पृष्ठांकन संख्या EDN-H(Ele)A-1/2022-(128)personnel दिनांक 26.04.2022 तथा पत्र संख्या PER(AP)-C-C(2)-2/2015-part दिनांक 25.05.2022 में निर्धारित शर्तों के अनुसार लागू होंगे।
2. अन्तर जिला स्थानान्तरण अध्यापक के पूरे सेवाकाल में सिर्फ एक बार ही किया जायेगा।
3. अन्तर जिला स्थानान्तरण होने के उपरान्त अध्यापक/अध्यापिका का पैतृक जिला के लिए प्रत्यावर्तन बारे अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
4. अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु अनुरोध तभी स्वीकार्य होगा यदि सम्बन्धित जिला में पांच : कोटा उपलब्ध हो।
5. अन्तर जिला स्थानान्तरण इस शर्त पर होगा कि जिला को अध्यापक जाना चाहता है वहां पर पद रिक्त हो।
6. अन्तर जिला स्थानान्तरण के फलस्वरूप अध्यापक / अध्यापिका को उसकी पिछले जिला की वरिष्ठता खोनी पड़ेगी।
7. अन्तर जिला स्थानान्तरण उपरान्त अध्यापक को दूसरे जिला में कार्यग्रहण की तिथि से वरिष्ठता प्रदान की जाएगी तथा उस तिथि को जिला की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा
8. दूसरे जिले में स्थानान्तरण पर जाते समय अध्यापक को कोई यात्रा भत्ता / कार्यग्रहण अवधि देय नहीं होगी।
9. अन्तर जिला स्थानान्तरण पर अध्यापक को पैतृक जिला के दूसरे जिला के लिए तभी कार्यभार मुक्त किया जाएगा, यदि दूसरे जिला में पद रिक्त हो। रिक्त पद की सूचना जिस जिला के लिए अध्यापक स्थानांतरित है, के उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा उस जिला के उप निदेशक को दी जाएगी जहां से अध्यापक स्थानान्तरित कार्यभार मुक्त होना चाहता है।

Deputy Director Elementary Education
Una District Una (HP)